भारत सरकार
भारत के प्रेस महापंजीयक का कार्यालय
(सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय)

दिनांकः 29.04.2025

भारत के प्रेस महापंजीयक के कार्यालय में पत्रिकाओं के पंजीकरण के संबंध में प्रकाशकों के लिए एडवाइजरी (2025 की संख्या 12)

प्रेस और नियतकालिक पत्रिकाओं का पंजीकरण अधिनियम, 2023 दिनांक 01.03.2024 को लागू हुआ है तथा इस अधिनियम की धारा 2 (छ) में **नियतकालिक पत्रिका को समाचारपत्र सहित ऐसे प्रकाशन के रूप में परिभाषित किया गया है जो नियमित अंतराल पर प्रकाशित और मुद्रित होता है तथा जिसमें सार्वजनिक समाचार अथवा सार्वजनिक समाचारों पर टिप्पणियां होती हैं, परन्तु इसमें पुस्तक या वैज्ञानिक, तकनीकी और अकादमिक प्रकृति की पुस्तक अथवा पत्रिका सहित पुस्तक या पत्रिका सम्मिलित नहीं है।**

2. चूंकि पी.आर.पी. अधिनियम, केवल नियतकालिक पत्रिका के पंजीकरण को ही विहित करता है, तो यह अवगत कराया जाता है कि इस कार्यालय द्वारा पत्रिकाओं (जिसमे अकादमिक/वैज्ञानिक/तकनीकी/पेशेवर सामग्री छापी जाती है) के नए पंजीकरण नहीं किए जाएगें।

3. वे पत्रिकाएं जो पुराने पीआरबी अधिनियम, 1867 के अनुसार पीआरजीआई द्वारा पहले ही पंजीकृत की गई हैं, अपने स्वामी/प्रकाशक की इच्छानुसार अपना पंजीकरण समाप्त कर सकती हैं या पीआरपी अधिनियम, 2023 के प्रावधानों के अनुरूप अपना पंजीकरण जारी रख सकती हैं।

इसे प्रेस महापंजीयक महोदय के अनुमोदन से जारी किया गया है।

(राजित चन्द्रन एम.आर.)
उप प्रेस महापंजीयक

https://prgi.gov.in

Digitally signed by
Rajith Chandran M R
Date: 27-06-2025
15:37:24